न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 179/2007

उनवान

1. हनुमानसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह(कल्याणसिंह पुत्र श्री भूरसिंह)
2. मांगूसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
3. उगमसिंह पुत्र रावतसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी कवंलाई, उपतहसील पुष्कर, तहसील व जिला अजमेर .....प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री भोमा (भोमा पुत्र श्री उमा)
2. बन्ना पुत्र श्री भोमा

समस्त जाति रावत, निवासी कवलाई, उपतहसील पुष्कर, जिला–अजमेर।

3. राजस्थान सरकार-जरिये तहसीलदार अजमेर। .....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20(2) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक – 11.01.2018

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कंवलाई उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 1048 हाल 1292 रकबा 5 बीघा किस्म नदी पर प्रार्थीगण के पूर्वज श्री भूरसिंह एवं श्री रावतसिंह संवत 2019 से काबिज काश्त चले आ रहे थे। भू संशोधन के दौरान उनके खातेदारी भी दर्ज की गई लेकिन फिर सिवाय चक होने पर दिनांक 27.05.1984 को भू–संशोधन में दी गई खातेदारी भूमि सिवाय चक होने पर नियमित करने हेतु विशेष अभियान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता श्री भोमा पुत्र उमा जाति रावत के नाम नियमित कर दी गई, जिसमें से करीब ढाई–तीन बीघा भूमि कटाव लगकर नदी में तब्दील हो जाने से अप्रार्थी सं0-1 व 2 उक्त नियमन आदेश की आड में बजरी विक्रय कर भारी रकम प्राप्त कर रहें है। शेष दो–ढाई बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है। भू संशोधन से पूर्व श्री भोमा रावत का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा एवं ना ही उन्हें भू संशोधन में कोई खातेदारी दी गई फिर भी उनके द्वारा मिथ्या कथन कारित कर बिना कब्जे के विवादित भूमि दिनांक 27.05.84 को अपने नाम करवा ली गई। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं0 1, 2 के पिता श्री भोमा पुत्र उमा के पक्ष में उक्त नियम विरूद्ध पारित नियमन आदेश को निरस्त फरमाने एवं विवादित भूमि में लूणी नदी के उत्तर में अवस्थित शेष भूमि जिस पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है, को प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन करने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं 1, 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आयें। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावती वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोनार्थ आवंटन) नियम 1970 के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर के आराजी खसरा नं0 1048 हाल 1292 रकबा 5 बीघा किस्म नदी पर सम्वत् 2019 से प्रार्थीगण के पूर्वज श्री भूरसिंह एवं श्री रावतसिंह काबिज काश्त चले आ रहे थे अप्रार्थी सं0 1, 2 के पिता श्री भोमा कभी भी इस विवादित भूमि पर काबिज काश्त नहीं रहें, इसके बावजूद दिनांक 27.05.84 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियम विरूद्ध उक्त भूमि, अप्रार्थी श्री भोमा रावत के नाम नियमित कर दी गई। जबकि प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वज श्री भूरसिंह व श्री रावतसिंह सम्वत् 2019 से लगातार काबिज काश्त चले आ रहें है जो कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2019, सम्वत् 2021 व खसरा गिरदावरी 2019 लगायत 2022 तथा खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2022 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2027 से लगायत 2030 एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2031 से साबित है, जिनके कॉलम सं0 15 में भू संशोधन में खातेदारी अंकित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से कदीमी कब्जा काश्त होने के उपरान्त भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में अविधिक रूप से आक्षेपित नियमन आदेश पारित किया है। अपनी बहस जारी रखते हुए उन्होने आगे कथन किया कि विवादित आराजीयात में से लगभग ढाई–तीन बीघा भूमि कटकर लूणी नदी में तब्दील हो चूकी है, तथा शेष भाग पर प्रार्थीगण का आज भी कब्जा है। उन्होने यह भी कथन किया कि भूमि का अधिकांश भाग नदी में शामिल हो जाने से अप्रार्थी सं0 1 व 2 उक्त नियमन आदेश की आड में बजरी का दोहन एवं विक्रय कर मोटी रकम कमा राज्य सरकार को भारी नुकसान पहुँचा रहें है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता श्री भौमा पुत्र उमा के पक्ष में पारित नियमन आदेश दिनांक 27.5.84 को निरस्त फरमाने एवं लूणी नदी के उत्तर में अवस्थित, खसरा नं0 1292 का शेष भाग जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं को प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन किये जाने आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि साबिक चौसाला खसरा नं0 1048 रकबा 5–00–00 बीघा भूमि ग्राम कॅवलाई की खेवट व खतौनी सन् 1349 फसली एवं चौसाला जमाबन्दी संवत् 2022–2025 एवं वर्किंग जमाबन्दी में बने खसरा नं0 1292 रकबा 5–00–00 बीघा के मुताबिक सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज होकर किस्म बारानी 3 दर्ज है। बहस जारी रखते हुए उन्होने आगे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 30.7.1984, भौमा वल्द उमा के नाम नियमन दर्ज की गई है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 1292 के वर्तमान खसरा नं0 988 रकबा 0.55 हैक्टर, 989 रकबा 0.11 हैक्टर व खसरा नं0 259/1454 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म बारानी 3 कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 बने है। भू प्रबन्ध विभाग से प्राप्त मिसल बन्दोबस्त संवत् 2064 से 84 के खाता संख्या 124 में भौमा के वारिसान बाबूलाल, किशना,बन्ना पि0 भौमा कौम रावत सा0 देह के नाम अंकित है। इसी अनुरूप वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 121 में खसरा नं0 259/1454, 988, 989 किता 3 रकबा

11/01/18

जिला कलक्टर
अजमेर

0–81 हैक्टर बन्ना पि0 भौम, भागचन्द पि0बाबूलाल के नाम अंकित है। तहसील में उपलब्ध खसरा गिरदावरी अनुसार संवत् 2043 से 2063 के मध्य संवत् 2047, 2051, 2052, 2050, 2061 2062 में खसरा नं0 1292 में काश्त दर्ज है, शेष वर्षो में भूमि पडत दर्शाई गई है। प्रश्नगत भूमि के सहारे–सहारे नदी गुजरती है। वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि का अधिकांश भाग, पानी के बहाव के कारण गहरे गड्डो के रूप में तब्दील हो रखा है। भूमि के पडौस में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है, इसीलिए कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन क्रिया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सवंत् 2062 के पश्चात भूमि पडत दर्शाई गई है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के सहारे–सहारे नदी गुजरती है जिसके पानी के बहाव के कारण वर्तमान में विवादित भूमि, गहरे गड्डो के रूप में तब्दील हो रखी है। प्रश्नगत भूमि के कब्जे को लेकर उभय पक्ष में परस्पर विवाद है। उपरोक्त तथ्यो के मध्यनजर नियमन यथावत रखना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। सारांशतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) स्वीकार कर ग्राम कॅवलाई के खसरा नम्बर 1292 रकबा 5–00–00 बीघा का अप्रार्थीगण के पिता के हक में किया गया आवंटन/नियमन का आक्षेपित आदेश दिनांक 27.05.1984 निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक खाते में किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

11/1/2018

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर